न्यायालय—साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म०प्र०

दाण्डिक प्रकरण कमांक—647 / 14 संस्थित दिनांक——— 03.11.2014

.....आरोपी

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन विरुद्ध 1- फूलसिह पुत्र वादाम सिह उम्र 45 साल निवासी ग्राम सरसैला थाना चंदेरी

<u>: : निर्णय : :</u>

(आज दिनांक- 15.03.2017 को घोषित किया गया)

- 01. अभियुक्त फूलसिंह के विरूद्ध धारा 279, 337, 323 भा०द०वि० के अन्तर्गत इस आशय का अभियोग है कि दिनांक 12.10.2014 को रात करीबन 9 बजे के लगभग थाना चंदेरी स्थित ग्राम सिंहपुर के आगे मुंगावली चंदेरी रोड पर द्वेक्टर आयशर क0 380 सिल्वर कलर को लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर साधारण उपहित कारित की एवं आहत बल्लू को स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 02. प्रकरण में अवलोकनीय है कि दिनांक 15.03.2017 को फरियादी / आहत व आरोपी के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण आरोपी फूलसिंह को धारा 337, 323 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 03. अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी फूलसिह ने धर्मेन्द्र यादव के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 12.10.2014 को रात करीब 9 बजे वह अपनी भैसे देखने इमलिया विक्रमपुर तरफ जा रहा था कि जैसे ही ग्राम इमलिया के पास आया पीछे से चन्देरी तरफ से आ रहे आयशर द्रेक्टर 380 सिल्वर कलर के चालक ने द्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर पीछे से उसकी मोटरसाईकिल टक्कर मार दी जिससे वह गिर गया, गिरने से उसके

दांहने पैर के घुटने में चोट होकर खून निकल आया तथा मोटरसाईकिल का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। फरियादी ने उठकर देखा तो द्रेक्टर फूलसिंह पुत्र बादाम सिंह निवासी ग्राम सरसेला का चला रहा था। फरियादी ने कहा कि तुमने टक्कर मार दी मेरे लग गई व मोटरसाईकिल टूट गई है। उसका इलाज कर दो व मोटरसाईकिल ठीक करा दो, तभी आरोपी उससे चैंट गया, मुक्के व थप्पड मारे व गले मे व गले के नीचे छाती में चोट आई थी। मौके पर गाँव के भरत सिंह और भाई धर्मेन्द्र बगैरा आ गये थे। फूलसिंह टेक्टर को भगाकर अपने गाँव तरफ चला गया था। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिये गये, घाटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, मोटरसाईकिल को जप्त किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 04— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 05. राजीनामा उपरांत न्यायालय के समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्त फूलसिंह के द्वारा दिनांक 12.10.2014 को रात करीबन 9 बजे के लगभग थाना चंदेरी स्थित ग्राम सिंहपुर के आगे मुंगावली चंदेरी रोड पर द्वेक्टर आयशर क0 380 सिल्वर कलर को लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06. अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। बल्लू यादव अ0सा01 का कहना है कि वह आरोपी फूलसिह को जानता है। घटना करीब 2 साल पहले की होकर शाम को 8-9 बजे की है। घटना दिनांक को वह चंदेरी से अपने घर सिंहपुर चालदा अपनी मोटरसाईकिल से जा रहा था। जैसे ही उसकी मोटरसाईकिल ग्राम इमलिया के पास पहुँची तो पीछे से एक द्रेक्टर आयसर कंपनी का सिल्वर कलर का आ रहा था। वह अपनी साईड से मोटरसाईकिल से जा रहा था। वह अपनी साईड से मोटरसाईकिल असंतुलित होकर गिर गई थी जिससे उसे हल्की फुल्की

चोटे आ गई थी और मोटरसाईकिल का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। उक्त द्रेक्टर को फूलसिह पुत्र बादाम सिह यादव चला रहा था।

- 07— बल्लू यादव अ0सा01 का कहना है कि घटना स्थल पर आरोपी फूलिसह से उसका मामूली वाद विवाद भी हुआ था। घटना स्थल पर भरत सिह यादव और उसका भाई धर्मेन्द्र आ गये थे। इसके अलावा आरोपी ने कोई घटना उसके साथ कारित नहीं की। उक्त घटना के संबंध में थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस घटना स्थल पर आई और घटना स्थल का मानिचत्र प्र.पी. 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस चे उसकी चोटो का मेडिकल कराया था और पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 08— न्यायालय द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आयसर द्वेक्टर 380 सिल्वर कलर के चालक ने द्वेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर पीछे से उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मारी थी जिससे वह गिर गया था। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने उक्त रिपोर्ट और कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया, पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपी से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। इस बात से इंकार किया कि उसका आरोपी को बचाने के लिये न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।
- 09— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी धर्मेन्द्र अ0सा02 ने भी उनकी साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन न कर अभियोजन द्वारा उन्हें पक्ष विरोधी घोषित कराने के उपरांत पूछे गये सूचक प्रश्नो में अभियोजन के तथ्य को स्पष्ट इंकार किया कि उसके भाई बल्लू को चोटे कैसे आई वह नहीं बता सकता। धर्मेन्द्र अ0सा02 ने अपने न्यायालयीन कथनो में बताया कि फूलिसह को रोककर इलाज कराने व मोटरसाईकिल ठीक कराने की बात कही थी। इस बात से इंकार किया कि वह अपने भाई के साथ थाना चंदेरी में रिपोर्ट लिखाने गया था।
- 10— इस प्रकार अभियोजन की ओर से आई साक्ष्य से स्वयं फरियादी बल्लू यादव अ0सा01 ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया। है। दिनांक 12.10.2014 को रात करीबन 9 बजे के लगभग थाना चंदेरी स्थित ग्राम सिंहपुर के आगे मुंगावली चंदेरी रोड पर द्वेक्टर आयशर क0 380 सिल्वर कलर को लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन

से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतः आरोपी फूलसिह को धारा २७१ भा०द०वि० का अपराध प्रमाणित न होने से दोषमुक्त किया जाता है।

- 11- प्रकरण में जप्तसुदा द्रेक्टर आयशर 380 सिल्वर कलर कमांक एमपी67 ए 5652 पूर्व से सुपुर्दगी पर है । अतः सुपुर्दीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त समझा जावे।
- 12- अभियुक्त द्वारा अन्वेषण, जांच, विचारण के दौरान निरोध में विताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे
- 13- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया दिनांकित कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र0